हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19.03.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ता को सूना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा चक 13 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 158/356 मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5 की उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चित दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी की भूमि के लिये किला नम्बर 16 व 17 में रास्ता उपलब्ध है, जो कि प्रार्थी के भाई आत्मासिंह के कब्जा काश्त में चल रहा है। ऐसी स्थिती में मौका निरीक्षण करवाया जाकर देखा जा सकता है, कि प्रार्थी याचित रास्ता को पानें का अधिकारी नहीं है।

उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में अद्योहस्ताक्षर द्वारा सम्बधित पटवारी हल्का, सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के साथ संयुक्त रूप मौका निरीक्षण किया। दौराने मौका निरीक्षण पाया कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 294/2016 अनवानी नसीबकौर बनाम चनणसिंह आदि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए/आर.टी.ए. के अन्तर्गत पत्थर नम्बर 158/356 (61) के किला नम्बर 3 व 4 में उत्तरी दिशा में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है। प्रार्थी मौका पर वैकल्पिक रास्ता के रूप में पत्थर नम्बर 158/351 (51) के किला नम्बर 25 के दक्षिण दिशा व किला नम्बर 24 के किनारे का प्रयोग कर रहा है।

प्रकरण के अवलोकन से पाया कि पत्थर नम्बर 158/356 (61) के किला नम्बर 3 व 4 में उत्तरी दिशा में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। अतः पूर्व में किला नम्बर 3 व 4 में स्वीकृत शुद्धा रास्ता को मुख्य रास्ता से जोड़नें हेतु किला नम्बर 5 में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए/आ.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 13 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 158/356 (61) के किला नम्बर 5 में उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम एक एक बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। जो सार्वजनिक उपयोग हेतु समस्त काश्तकारान उपयोग करेंगें।

रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप वर्तमान डी.एल. सी. दर का दुगना प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करेगा। जिसकी गणना तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा की जावेगी मुआवजा राशी प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय हनुमानगढ़ में जमा करवाये जानें के गैर मुमकिन रास्ता का राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। तथा अप्रार्थीगण की मांग पर उन्हे नियमानुसार मुआवजा राशि का अपनें स्तर पर वितरण करना सुनिश्चित करें

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.09 12:36:10 IST
Reason: SelfAttested